

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008-53/18-19 जूली /राँची, दिनांक 01.02.2019

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,
अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्डू राँची।
द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- गढ़वा जिलान्तर्गत बभनीखाड़ जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 632.74 लाख (रुपये छः करोड़ बत्तीस लाख चौहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

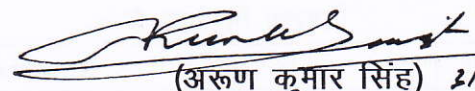
आदेश-स्वीकृत।

- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत बभनीखाड़ जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 632.74 लाख (रुपये छः करोड़ बत्तीस लाख चौहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- बभनीखाड़ जलाशय योजना के मुख्य नहर की कुल लम्बाई 3.57 कि०मी० है। इसके भोजपुर वितरणी की कुल लम्बाई 1.221 कि०मी०, जंगीपुर वितरणी की कुल लम्बाई 0.902 कि०मी० एवं चौबेडीह वितरणी की कुल लम्बाई 1.565 कि०मी० है।
मुख्य नहर को तीन Reaches में बाँटा गया है। पहला Reach- 0.00 से 0.730 km, दूसरा Reach - 0.730 से 1.451 km एवं तीसरा Reach - 1.451 से 3.57 km है।
- इस योजना की खरीफ सिंचाई क्षमता 540 हे० है।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा बभनीखाड़ जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रु० 632.77 लाख का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्य नहर के चैन सं०- 2.80 km पर एक नया SLR Bridge, भोजपुर वितरणी में छः नया Outlet क्रमशः 0.330 km, 0.490 km, 0.670 km, 0.940 km, 1.050 km, 1.200 km एवं चार नया Rapid Fall संरचना क्रमशः 0.60 km, 0.240 km, 0.390 km, 0.84 km तथा जंगीपुर वितरणी में दो नया आउटलेट क्रमशः 0.030 km, 0.082 km पर निर्माण का प्रावधान है। प्राक्कलन का अवयववार विवरणी निम्नवत् है -

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	Residual Earthwork of Canal	21089996.89
2	Lining of Main Canal	25630422.46
3	Construction of SLR Bridge	2368211.62
4	Construction of Outlet (8 nos.)	193619.28
5	Repair of fall (10 nos.)	2715794.80
6	Construction of Fall (1.50m Height) (1 no)	292554.67
7	Construction of Fall (2.50m Height) (1 no)	841889.05
8	Construction of Fall (3.00m Height) (2 no)	1846040.04
9	Repair & maintenance of existing outlet and cross drainage	681402.04
	Total :-	55659930.85
	Add : GST - 12%	6679191.70
	Total :-	62339122.55
	Add : 1% Labour Cess	623391.23
	Add : ½% Contingency	311695.61
	Grand Total :-	63274209.39
	Say :-	Rs. 632.74 lakh

6. इस कार्य के उपरान्त 140 हे० हासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।
7. यह कार्य वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ कर जून 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।
9. इस योजना पर होने वाला व्यय
मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष - 800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- 4701-80-800-54-05-45)
10. वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है -
शीर्ष 49S - 4701 - 80 - 800 - 54 - 05 - 45 में रु० 30000.00 लाख
11. इस योजना का कार्यान्वयन अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।
14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
17. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

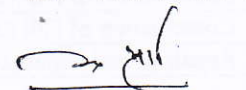
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 21.1.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

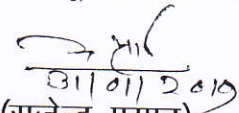
पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008- 53/18-195.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008-53/18-19 ज.खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

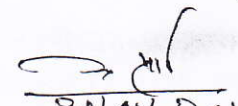
पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008-53/18-19 ज.खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

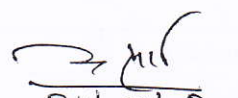
पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008-53/18-19 ज.खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/566/2008-53/18-19 ज.खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

